

मुख्य अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

वादा पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
42/22	188 RTA	गारखेडी	दुर्गा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
जगदीश वर्ग	बनाम	अकबर खां वर्ग

वकील :- देवेन्द्र कुमार गेहलोत एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

30⁵/₂₂ अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.07.2022 को पेश हो। ✓

4⁷/₂₂ *आपत स्थिति में* न्यायालय उपस्थित अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21.08.22 को पेश हो।
 न्यायालय उपस्थित अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

21/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तामील सम्मन अत्रापत्र। पुनः तलवी हेतु तलबना पेश करें। वास्ते तलवी। तलबना पत्रावली दिनांक 11/10/22 को पेश हो। ✓

11¹⁰/₂₂ *आपत स्थिति में* न्यायालय उपस्थित अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 5.11.22 को पेश हो।
 न्यायालय उपस्थित अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

5¹²/₂₂ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों की तलवी हेतु तलबना पेश नहीं हुआ। वकील प्रार्थी आज ही प्रतिवादी गणों की तलवी हेतु तलबना आज ही पेश करें। पत्रावली वास्ते तलवी तलबना दिनांक 11/11/23 को पेश हो। ✓

14/24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28/5/24 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

28 5/24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28.5.24 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

29.7.24

पत्रावली पेश हुई। क्वील वाही उपर) प्रतिवादी गणों की तलवी नहीं हुई है। इनकी तलवी हेतु शिफ्ट A) तलवाना आवश्यक रूप से आज ही पेश करें। आगामी पेशों तक तलवी नहीं होने पर प्रकरण शी-स्तर पर खारिज कर दिया जानेगा। पत्रावली वाले तलवी दिनांक 17.9.24 को पेश हो।

✍

17.9.24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22.9.24 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

22-10-24

पत्रावली पेश हुई। क्वील वाही उपर) क्वील वाही द्वारा जारी की गई तलवी हेतु तलवाना पेश नहीं किया। कानून-मार्फत से पूर्व से कर अनवरत डिप्टे का उके भी जारी करा जाई नहीं की तलवी हेतु तलवाना पेश नहीं कहे के कारण जारी का काड आदेश 9 बिंदु 5 पर के तहत खारिज किया जाए। पत्रावली मिलान हफाट केवल काड शामिल तलवी के दायिग दफाट है।

✍